

फॉर्मप्रॉटर परिपत्र सं.- 141571 फिल 04-04-2014

पत्र सं0-सचलदल-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश-2014-15/ 08, / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर

(सचल दल-अनुभाग)

उत्तर प्रदेश

लखनऊ :दिनांक :: ०५, अप्रैल, 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर

समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (विभागीय)

समस्त ज्वाइट कमिशनर (विभागीय)/(कार्यपालक)

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय के पत्र सं0-सचल दल-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश- 2013-14/ 1584 / वाणिज्य कर दिनांक 04 अक्टूबर , 2013 द्वारा प्रान्त बाहर से प्रान्त में आयात किए जा रहे माल के संबंध में ई-संचरण की व्यवस्था विनिर्दिष्ट 25 वस्तुओं के आयात हेतु लागू की गयी है। अग्रेतर पत्र सं0-सचल दल-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश -2013-14 / 1727 / वाणिज्य कर दिनांक 25 अक्टूबर , 2013 द्वारा उक्त व्यवस्था में कुछ आवश्यक संशोधन किए गए हैं। इस व्यवस्था को पत्र सं0-सचल दल-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश-2013-14/ 1879 / वाणिज्य कर दिनांक 20 नवम्बर, 2013 द्वारा वैकल्पिक रूप में दिनांक 1-12-2013 से लागू किया गया है।

2- उक्त के उपरान्तव्यापारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुए परिपत्र सं0-सचलदल-विशिष्ट संचरण नम्बर निर्देश-2013-14/ 2129/1314102/ वाणिज्य कर दिनांक 19 दिसम्बर , 2013 द्वारा उपर्युक्तानुसार विनिर्दिष्ट 25 वस्तुओं का आयात करने वाले व्यापारियों के लिए इन वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य व्यापारिक करयोग्य वस्तुओं के भी आयात हेतु भी ई-संचरण की व्यवस्था अनुमन्य की गयी है।

3- मुख्यालय पर उक्त के पश्चात अनेक प्रत्यावेदन ई-संचरण की व्यवस्था को और व्यापक तथा सुलभ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। इन पर विचार करते हुए ई-संचरण की व्यवस्था में निम्न निर्देश निर्गत किए जाते हैं -

(1) प्रान्त बाहर से आयात किए जाने के संबंध में ई-संचरण की व्यवस्था में जेनरेट किए गए "विशिष्ट संचरण नम्बर" की वैधता की अवधि निम्न तालिका के अनुसार रहेगी

(क) सड़क मार्ग से आयात किए जाने की स्थिति में :

क्र0सं0	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जैनरेटिड विशिष्ट संचरण नम्बर की वैधता की अवधि
1	0-100 किमी0	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से एक दिन (24घंटे)

म्ह

2	101-300 कि०मी०	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 03 दिन
3	301-500 कि०मी०	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 05 दिन
4	501-1000 कि०मी०	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 10 दिन
5	1000 कि०मी० से अधिक	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 20 दिन

(ख) रेलवे के माध्यम से माल के आयात करने की स्थिति में :

क्र०सं०	माल के मू०वमेट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जैनरेटिड विशिष्ट संचरण नम्बर की वैधता की अवधि
1	0-100 कि०मी०	माल के आयात हेतु जारी आर०आर० (रेलवे रिसीट) की दिनांक से एक दिन (24घंटे)
2	101-500 कि०मी०	माल के आयात हेतु जारी आर०आर० (रेलवे रिसीट) की दिनांक से 03 दिन
3	501-1000 कि०मी०	माल के आयात हेतु जारी आर०आर० (रेलवे रिसीट) की दिनांक से 10 दिन
4-	1000 कि०मी० से अधिक	माल के आयात हेतु जारी आर०आर० (रेलवे रिसीट) की दिनांक से 20 दिन

(ग) देश के किसी स्थान से वायुयान के माध्यम से माल का आयात किए जाने की स्थिति में

देश के किसी स्थान से माल के वायुयान से परिवहन हेतु बुक कराए जाने की दिनांक से "विशिष्ट संचरण नम्बर" की वैधता की अवधि अधिकतम 03 दिन की रहेगी ।

(घ) कोरियर के माध्यम से आयात किए जाने स्थिति में :

क्र०सं०	माल के मू०वमेट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जैनरेटिड विशिष्ट संचरण नम्बर की वैधता की अवधि
1	0-100 कि०मी०	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के संबंध में प्रेषणकर्ता कोरियर द्वारा जारी डोकेट नम्बर की दिनांक से एक दिन (24घंटे)

2	101-500 कि०मी०	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के संबंध में प्रेषणकर्ता कोरियर द्वारा जारी डोकेट नम्बर की दिनांक से 03 दिन
3	501 से 1000 कि०मी०	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के संबंध में प्रेषणकर्ता कोरियर द्वारा जारी डोकेट नम्बर की दिनांक से 05 दिन
4	1000 कि०मी० से अधिक	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के संबंध में प्रेषणकर्ता कोरियर द्वारा जारी डोकेट नम्बर की दिनांक से 07 दिन

(च) स्वयं अपने साथ माल का आयात किए जाने की स्थिति में :

क्र०सं०	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जैनरेटिड विशिष्ट संचरण नम्बर की वैधता की अवधि
1	0-100 कि०मी०	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से एक दिन (24घंटे)
2	101-500 कि०मी०	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 03 दिन
3	501-1000 कि०मी०	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 05 दिन
4	1000 कि०मी० से अधिक	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 07 दिन

(छ) व्हीकल का स्वयं ही आयात किए जाने की स्थिति में -

क्र०सं०	माल के मूवमेंट आरम्भ होने के स्थान से गन्तव्य तक की दूरी	संगत आयात के लिए जैनरेटिड विशिष्ट संचरण नम्बर की वैधता की अवधि
1	0-100 कि०मी०	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से एक दिन (24घंटे)
2	101-500 कि०मी०	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 03 दिन
3	501-1000 कि०मी०	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 05 दिन
4	1000 कि०मी० से अधिक	माल के आयात हेतु विक्रेता/माल के प्रेषणकर्ता द्वारा जारी इन्वाइस/चालान की दिनांक से 07 दिन

4- यदि किसी अपरिहार्यता के परिणामस्वरूप किसी स्लैब की उपर्युक्तानुसार वर्णित समयावधि प्रदेश की सीमा में प्रवेश के पूर्व ही समाप्त हो जाती है अथवा प्रदेश की सीमा में पहुँचने के बाद अवशेष अवधि इतनी नहीं रह जाती है कि प्रश्नगत माल उस अवशेष अवधि में प्रदेश के गन्तव्य में पहुँचना संभव हो , तो इन परिस्थितियों में ऐसा परिवहनकर्ता सीमा के सन्निकट क्षेत्र के ज्वाइंट कमिशनर (वि0अनु0शा0) के समक्ष संबंधित कारणों के साक्ष्यों सहित समयावधि को बढ़ाए जाने हेतु प्रस्तुत करेगा , जिस सीमाक्षेत्र में एक से अधिक ज्वाइंट कमिशनर (वि0अनु0शा0) तैनात हैं वहां यह प्रार्थना पत्र ज्वाइंट कमिशनर (वि0अनु0शा0) संभाग-ए के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

ज्वाइंट कमिशनर (वि0अनु0शा0) द्वारा प्रार्थना पत्र के प्रस्तुतीकरण के अनुवर्ती दिन तक प्रत्येक दशा में ऐसे प्रकरण में समयावधि बढ़ाने हेतु कारण सहित आदेश निर्गत किया जाएगा जिसकी प्रति आवेदनकर्ता / परिवहनकर्ता को प्राप्त कराई जाएगी । यदि कोई संबंधित ज्वाइंट कमिशनर (वि0अनु0शा0) अवकाश पर है तो उसके अवकाश की अवधि में यह आदेश संबंधित एडीशनल कमिशनर ग्रेड-II (वि0अनु0शा0) द्वारा निर्गत किया जाएगा ।

संबंधित ज्वाइंट कमिशनर (वि0अनु0शा0) उक्त परिप्रेक्ष्य में समयावधि बढ़ाए जाने के बिन्दु पर निर्णय लेते समय इस तथ्य का भी ध्यान रखेंगे कि प्रदेश की किसी भी सीमा से प्रदेश के किसी भी गन्तव्य तक पहुँचने में सामान्यतया अधिकतम 04 दिन का समय लगता है ।

5- यदि माल के आयात के दौरान प्रदेश की सीमा में प्रवेश के उपरान्त वाहन खराब होता है तो ऐसी अपरिहार्यता की स्थिति में संबंधित परिवहनकर्ता द्वारा वाहन बदलने के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र निकटस्थ वाणिज्य कर कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा , जिसके द्वारा परिवहनकर्ता के प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के उपरान्त तथा यथावश्यक वाहन का भौतिक सत्यापन कराने के उपरान्त युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाएगा ।

उपरोक्तानुसार उल्लेख किए गए प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य मण्डल कार्यालय की स्थिति में प्रभारी डिप्टी कमिशनर तथा संभागीय कार्यालय की स्थिति में ज्वाइंट कमिशनर (वि0अनु0शा0) होगा ।

6- जिन प्रकरणों में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम , 1956 की धारा 6(2) के प्राविधानों के अनुरूप Sale in transit का बिन्दु निहित है , उन मामलों में यदि प्रान्त में ही प्रथम तथा अंतिम क्रेता दोनों ही पंजीकृत हैं। तब माल का आयात इन दोनों में से किसी भी व्यापारी के फार्म-38 पर विधिअनुसार किया जा सकता है ।

उक्त निर्देश दिनांक 15-4-2014 से प्रभावी होंगे । तदनुसार इनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

मृत्युंजय कुमार नारायण
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिशनर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

प्र०प०सं० एवं दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) माननीय अध्यक्ष,उ०प्र० राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, उ०प्र० शासन ,लखनऊ ।
- (2)प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना,उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
- (4) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
- (5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ०प्र० ।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर वाणिज्य कर, उ०प्र० ।
- (7) समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-१/ ग्रेड-२, वाणिज्य कर , उ०प्र० मुख्यालय लखनऊ ।
- (8) एडीशनल कमिशनर,ग्रेड-२ (वि०अनु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश ।
- (9) समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक / वि०अनु०शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश ।
- (10) समस्त डिप्टी कमिशनर / असिस्टेंट कमिशनर / वाणिज्य कर अधिकारी (क०पि० / वि०अनु०शा०/स०द०) वाणिज्य कर,,उत्तर प्रदेश ।
- (11) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ ।
- (12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतकर्ता अधिष्ठान,विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (14) प्रबन्धक,इसेटिव,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश ।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आइट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए०जी०आइट ११, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (17) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर १० नोयडा ।
- (18) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-२ /ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमि०/असिस्टेंट कमिशनर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।
- (19) एडीशनल कमिशनर ग्रेड-१/ ग्रेड-२/ ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी ०कमि०/असि०कमि०(उ०न्या०कार्य०)लखनऊ/इलाहाबाद।
- (20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः ५- ५ तथा १०प्रतियों में ।
- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को ५० प्रतियो ।
- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
- (23) अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेर एसो० ७, देवेन्द्र पुरी कालोनी,बांसमण्डी, लखनऊ ।
- (24) अधिशासी निदेशक,उद्योग बस्यु, सी १५ माल एवेन्यू,लखनऊ ।
- (25) श्री हुलास राय सिंधल, राष्ट्रीय अध्यक्ष,समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) ३०प्र० ।
- (26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,८७/३४९ आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (27) श्री बनवारी लाल कंठल, अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंठल कुँज, ६६,शास्त्री नगर,लखनऊ ।
- (28) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , २९बी विधायक निवास दारलसुफा लखनऊ।
- (29) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, २४४/६५, यहियागंज, लखनऊ ।
- (30) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,१४/२६ सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (31) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० २/३०२ विकास खण्ड ४/१८० गोमती नगर लखनऊ ।
- (32) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० १ ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (33) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड० द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड० ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
- (34) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्मेनाइजेशन डी-४ साइट संख्या ३ मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (35) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड० निराला नगर,लखनऊ ।
- (36) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों सम्बाधीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्य०) के माध्यम से ।
- (37) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय १०इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
- (38) श्री नरेन्द्र कु० गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय १/२७४, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
- (39) श्री शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि उ०प्र० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार,एस०एस०कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।
- (40) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ३०प्र० शासन २६/१०३ बिरहाना रोड कानपुर ।
- (41) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।

- (42) प्रो० श्रीमती रंजना कवकड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (43) डॉ छेदी लाल साथी, ए-५/१५७९ इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (44) श्री बी०प०राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि० य०पी०टैक्स बार एसो० ४५ चन्द्रिका कालोनी, सिंगरा वाराणसी ।
- (45) श्री अशोक धवन सी के -२४/ १, कुंजगाली, चौक, वाराणसी ।
- (46) श्री पी०एस०जैन, १३८ ए ब्लाक ए सेक्टर २७ नोयडा ।
- (47) श्री ब्रित चावला मन्ज सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ०प्र०टूक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (48) श्री आर०ड०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
- (49) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा०निवासी ६० चाहवन्द इलाहाबाद ।
- (50) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ०प्र० प्रदेश, १९ सुरेशबाग, कानपुर ।
- (51) इण्डियन इण्ड०एसो०, १५९ए-४, १५ प्रकाश मार्केट, लाला लज्जपत राय चौक, मु०नगर ।
- (52) संयोजक, टैक्सेशन एकैडमिक एण्ड वेलफेर फोरम एसो०, वेस्टर्न य०पी०५२, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (53) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम उद्योगपुर हाउस, आगरा ।
- (54) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०प० स्टेट लि० ५१-बी उद्योग नगर कानपुर ।
- (55) श्री अनिल कुमार बंसल दि० य०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० ३-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (56) श्री दिनेश अरोरा उ०प्र० बनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० ५१/५८-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (57) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० ५६३/५६६ राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (58) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-२९, विधायकनिवास, दारूल सफा, लखनऊ ।
- (59) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष, समाजवादी व्यापारी सभा, उ०प्र०, ६ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।
- (60) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, ६/६-ए, डॉ०प०रारोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (61) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस २ गोमती नगर लखनऊ ।
- (62) वैट लॉ जनरल १० नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (63) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीबला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (64) सर्वश्री दि० किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, ६७/११६ सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (65) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष तार प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)
- (66) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र०उद्योग व्यापार मण्डल-२२/२६ आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (67) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-६ गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (68) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- १५/५ राजनगर, गाजियाबाद ।
- (69) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिशन, आर०ड०पी०-५१, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (70) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, य०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, १०३ बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, १ यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।
- (71) श्री रवि सन्दूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डॉ-१९४, सेक्टर-१०, नोयडा, गौतमबुद्ध नगर (य०पी०) ।
- (72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड ।
- (73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, य०पी० पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ ४३, सेक्टर-११, नोएडा ।
- (74) अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
- (75) अध्यक्ष, य०पी०मोटर ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन (रजि०) १३३/२९६-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर ।
- (76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न य०पी०देम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बाब्बे बाजार, मेरठ ।
- (77) अध्यक्ष / महासचिव महानगर टैक्स बार एसोसिएशन (रजि०) गाजियाबाद
- (78) प्रेसीडेन्ट/सचिव, य०पी०शुगर मिल्स एसोसिएशन, ४०३, चिल्टेन हाउस, १६, स्टेशनरोड, लखनऊ ।
- (79) अध्यक्ष/महासचिव आल इण्डिया फैडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद
- (80) कन्वीनर, टैक्स फोरम, रजत विहार, सेक्टर ६२, नोएडा ।

३०९
५८८०१५
(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ